कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 456 /अलीगढ़/14208/2015, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 17, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (MDR-82W) किमी0 01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/05/2017/एफसी/141, दि0 14.07.2017,
इस कार्यालय का पत्रांक–207/अलीगढ़/14208/2015, दि0 28.07.2017
भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/05/2017/एफसी/181, दि0 27.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित पत्र दि0 14.07.17 के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के समसंख्यक पत्र दि0 24.07.17 द्वारा प्राप्त सूचना इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार प्रेषित की गयी थी।

भारत सरकार के उपरोक्त दोनों सन्दर्भित पत्रों के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक–469/14–1, दिनांक 11.08.2017 द्वारा संशोधित सूचना (सी0डी0 सहित) इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ के उक्त पत्र दि0 11.08.2017 की सी0डी0 सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने हेतु शासन स्तर से भी भारत सरकार को लिखते हुए ऑनलाइन प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कराने की कृपा करें।

2– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

3– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।

4– अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।